



कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नरट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-21.08.2024

विषय:- नाबालिक के साथ बहला-फूसला कर दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त नसीम अली को थाना बड़ागांव पुलिस ने किया गिरफ्तार।

दिनांक 19.08.2024 को नाबालिक को बहला-फूसला कर संजय होटल मोटल बाबतपुर में ले जाकर जबरजस्ती बलात्कार करने, विरोध करने पर जाति सूचक व अपशब्दों का प्रयोग करने, जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने तथा फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी दे कर ब्लैक मेल कर पैसे की मांग करने के सम्बन्ध में वादिनी की तहरीर पर दिनांक 20.08.2024 को थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा मु0अ0स0 335/24 धारा 137(2), 64(1), 115(2), 352, 351(2)(3) बीएनएस, धारा 3/4 पॉक्सों एक्ट, धारा 3(2)(V), 3(1)(द)(ध), SC/ST एक्ट बनाम नसीम अली पुत्र रमजान अली उर्फ बेचू, नि0 ग्राम अहरक, थाना बड़ागांव, वाराणसी पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही जा रही है।

इसी क्रम में श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरट वाराणसी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.08.2024 को थाना बड़ागांव पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर सातोमहुआ से अहरक जाने वाले मार्ग के पास से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नसीम अली पुत्र रमजान अली उर्फ बेचू, नि0 ग्राम अहरक, थाना बड़ागांव, वाराणसी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

नसीम अली पुत्र रमजान अली उर्फ बेचू, नि0 ग्राम अहरक, थाना बड़ागांव, वाराणसी उम्र 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 335/24 धारा 137(2), 64(1),115(2),352,351(2)(3) बीएनएस, धारा 3/4 पॉक्सों एक्ट, धारा 3(2)(V),3(1)(द)(ध) SC/ST एक्ट थाना बड़ागांव वाराणसी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

उ0नि0 अजय कुमार पाण्डेय, थानाध्यक्ष बड़ागांव कमिश्नरेट वाराणसी ।

हे0का0 बृजेश कुमार सिंह, थाना बड़ागांव कमिश्नरेट वाराणसी ।

हे0का0 राकेश चौधरी, थाना बड़ागांव कमिश्नरेट वाराणसी ।

का0 देवेन्द्र सिंह, थाना बड़ागांव कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, गोमती ज़ोन
कमिश्नरेट वाराणसी ।